

C.E.I.(H.A.)

3988

MD.11w 03-12-19

महत्वपूर्ण / काट कंस

संख्या—1546 / XVII-2 / 19-13(19) / 2019

प्रेषक,  
एल.फैन्डी  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

मुख्य अधिकारी  
लिंगो कि

/ PART H.D.

6/21/19  
मा०

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग—2

देहरादून: दिनांक 25 नवम्बर, 2019

विषय:- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, 2011 की नियमावली के व्यापक प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या—155/2019 (पी०आई०एल०) Kailash Chandra Sharma बनाम state में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2019 में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम—2011 की समुचित जानकारी अधिक से अधिक लोगों का प्रदान करने के लिए, व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2019 के अनुपालन में उक्त अधिनियम व अधिनियम से सम्बन्धित अधिसूचनाओं के प्रचार-प्रसार अलाइन करने वाले हतु अधिनियम एवं सम्बन्धित अधिसूचनायें विभागीय वेबसाइट(socialwelfare.uk.gov.in) से डाउनलोड अलाइन करते हुए नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

AO(प्रबन्ध)

मा० 12/19  
(SSO)

भवदीय,  
८/११/१९  
(एल.फैन्डी)  
सचिव

पृष्ठांकन संख्या:- / XVII-2 / 19-13(19) / 2019 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिनियम को प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों एवं FM रेडियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
- 2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड को उनके पत्र दिनांक 31.10.2019, के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्त अधिनियम की प्रति विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने के साथ ही प्रचार-प्रसार करने का भी कष्ट करें।

ECE(YKJ)

IT Head

आज्ञा से,

घंब्दन सिंह नेगी अधिकारी अधिसूचना सचिव  
घंब्दन सिंह नेगी अधिकारी अधिसूचना सचिव  
अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी

R.R.(I.T.) Sh Negi ji  
लिंगो कि भिन्न निवासी वेबसाइट  
एल.फैन्डी अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी  
एल.फैन्डी अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी  
प्रधानमंत्री अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी

अलीम अगला  
अधिकारी अधिकारी

P.T.O.

कार्यालय ०-ESt  
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड  
देहरादून

पृष्ठानं पर्यालेखा - ११७० /०९८०५०/१९ दिनों ४-१२-२०१९

प्रतिलिपि:- श्री आमिर्हा, भैरवीप/रामगढ़/व००५०३०/  
प००८०५०/००३०/००३०/प००८०५०३० लोक विभाग विभाग,  
अलगड़ा/पौड़ी/हल्दानी/देहरादून को उक्त पर्यालेख की प्रति आमिर्हा  
अवधीनस्थ इल्लीप/वृषभीप बायालपो को स्वापन प्रचार-शार  
हैंड अपलॉड कराने हेतु प्रवेष्ट।

प्रतिलिपि:- आमिर्हा आमिर्हा (आमिर्हा) विभागाध्यक्ष  
कोपालप लो० न०० विभाग देहरादून को उक्त पर्यालेख की प्रति आमिर्हा  
बैठकाउट हर उम्मलोड छिपाने हेतु।

उत्तिलिपि- प्रशासनिक कार्डिनाली जिहि प्रबोह

वा० विभागाध्यक्ष नार्फता दृष्टदृष्टि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड  
देहरादून

प्र० १२-१२-१९

प्रशासनिक आधिकारी  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड  
देहरादून